

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम,
उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 22 ^{जनवरी} ~~दिसम्बर~~, 2013

विषय: नगर निगम के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के आन्तरिक/पटल स्थानान्तरण के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1473ए./नौ-7-97-12ज./1997, दिनांक 17 अप्रैल, 1997 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम के अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग/अनुभाग में स्थानान्तरण करने के प्रस्ताव पर नगर प्रमुख/महापौर के पूर्वानुमोदन की व्यवस्था की गयी थी।

2. उल्लेखनीय है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि एक ही पटल पर लम्बे समय से नगर निगमों में अधिकारियों/कर्मचारियों के तैनात रहने से कार्य कुशलता में शिथिलता आई है तथा पटल परिवर्तन में महापौर का अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 अप्रैल, 1997 को एतद्वारा अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब नगर निगम के अधिकारियों तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का एक विभाग/अनुभाग से दूसरे विभाग/अनुभाग में स्थानान्तरण करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम स्वयं सक्षम हैं तथा इसमें महापौर के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,


22/01/2013
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।